

ज्ञापांक १२०००० / फा०सं०-०१०  
कार्यालय अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, दानापुर, पटना।

दिनांक:- २२/०२/२०२४

सेवा में,  
जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
पटना।

विषय:- अधिष्ठापित किए गए अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं का अंकेक्षण कर अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अनुरोध पत्र के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली २०२१ के अनुसूची (ग) के प्रावधानों के अनुसार, Himalayan International School, Maharajganj, Maner Near Gandhi Maodan, Patna Bihar का बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम २०१४, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली २०२१. एवं राष्ट्रीय भवन संहिता २००५/२०१६ के प्रावधानों के अनुसार संस्थान में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों को अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि अंकेक्षण किया गया। जिसका अंकेक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः संबंधित संस्थान का अंकेक्षण प्रतिवेदन श्रीमान् की सेवा में आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

अनुलग्न:-०१. प्रपत्र श -०१ अदद।

०२. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति:-०१ अदद

०३. आवेदन:-०१ अदद।

०४. Gps फोटोग्राफ:- ०२ अदद।

क्र०	बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट सं०	दिनांक	राशि
०१.	Canara Bank	331763	08.02.2024	5500.00

विश्वासभाजन

२२.०२.२४

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
दानापुर।




प्रपत्र- 'श'

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण के बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(2)(3)के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अर्न्तगत)

1. भवन का नाम /पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन:- Himalayan International School, Maharajganj, Maner Near Gandhi Maodan, Patna Bihar
2. भवन का निर्माण वर्ष:-2008.ई0
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र(औपबंधिक/अंतिम/नवीकरण का वर्ष):- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:-नहीं
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- स्कूल
6. उप कब्जे (Sub-occupancy)के प्रकार:-नहीं
7. जमीन के स्तर से उँचाई(मीटर में):- 06 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:-नहीं
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):-खड़ा:-05मीटर, क्षैतिज:-10 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र(वर्ग मीटर में):-1830 वर्गमीटर  
(तलघर एवं स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:-G+1
12. तलघर की संख्या:-नहीं
13. स्टील/भूतल की संख्या:-01
14. ब्लॉक की संख्या:-01
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:-500 बच्चें
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):-915 वर्गमीटर/500 बच्चें
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- बिहटा मनेर रोड,-60 फीट  
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?-हाँ है।
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है?-नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:-उ0-10 फीट, द0-100 फीट,  
पु0-120 फीट, प0-10 फीट।
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:-हैं।
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है?-चौ0-18 फीट, ऊँ0-खुला हैं
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- पुरब एवं दक्षिण में-50 वाहन।
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन के चारों तरफ दूरी):-नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या:-01
26. निकास द्वार की संख्या:-01
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- खुला है।
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):-02/12ईच/06ईच/03फीट
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- नहीं
30. यात्रा दूरी(सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):-16 मीटर
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:-नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
37. बंद उध्वाधर खुला स्थान:- है।
38. कोरिडोर और मार्ग(वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):- 10 फीट/बाधित हैं।
39. क्षैतिज निकास की स्थिति:-सही है।
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:-है
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:- नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
43. कम्पार्टमेंटलाईजेशन:- नहीं





44. धुआँ निकासी व्यवस्था:- नहीं
45. विद्युत अधिष्ठापन:- है।
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफार्मर:- नहीं
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत:- डी0जी0 सेट
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- स्पलिट
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:- है
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाईटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका -7 के अनुसार):- है।
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में संसूचक नियंत्रण पैनल):- है फायर अलार्म सिस्टम है।
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नहीं
53. नली रील (Hose Reel):- है
54. वेट राईजर्स:- नहीं।
55. सूखी राईजर्स:- है।
56. डाउन कमर:- नहीं
57. यार्ड हाईडेंट:- नहीं
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता- लीटर):- नहीं
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता- लीटर):- 25000 ली0
60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):- प्रेशर पम्प-900 एल0पी0एम0 है।
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/कमांक/एक्सप्लोसिव नं0/ विनिर्माण का वर्ष / खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):- ABC Type Fire Extinguisher 06kg-16pcs, CO<sub>2</sub>-4.5kg-04pcs.
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नहीं।
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना):- होता है
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नहीं
65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है:- नहीं।

**जॉच पदाधिकारी का मंतव्य:-**

दिनांक:-06.02.2024. को Himalayan International School, Maharajganj, Maner Near Gandhi Maodan, Patna Bihar का सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, दानापुर श्री विजय शंकर यादव, द्वारा एवं अ0चा0-607 सरोज कुमार ठाकुर, गृ0र0-6411 शेषनाथ राव, अ0 राजु कुमार के सहयोग से अग्नि अंकेक्षण किया गया। यह एक स्कूल है जिसके संचालक नीरज कुमार है। मो0 न0- 6207030010 एवं Email ID-nis50184cbse@gmail.com है। संबंधित भवन मालिक/प्रबंधक को निम्न सुझाव दिया जाता है।

1. अग्नि अंकेक्षण के क्रम में संस्थान में किये गये अग्नि अंकेक्षण क्षेत्रफल के अनुसार अग्निशमन उपकरण प्रयाप्त पाया गया, जो क्रियाशील अवस्था में है। इसलिए संस्थान को अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है।
2. संस्थान में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों को सक्रिय रखने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रबंधक की होगी।
3. विद्युत लोड की जॉच सक्षम प्राधिकार से समय-समय पर कराया जाना श्रेयस्कर होगा, ताकि शार्ट सर्किट जैसी अग्नि दुर्घटना होने से बचा जा सके।
4. वर्ष में दो बार फायर मॉक-ड्रील कराना सुनिश्चित करेंगे जिसकी सूचना स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को भी दिया जाए।

विश्वसभाजन

22.02.2024

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
दानापुर।